FREQUENTLY ASKED QUESTIONS / बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न

एन सी पी आर आई यानि नेशनल कैम्पेन फार पीपल्स राईट टू इन्फोर्मेशन क्या है?

एन सी पी आर आई यानि सूचना के अधिकार का राष्ट्रीय अभियान 1996 में आरम्भ किया गया. इसका मुख्य उद्देश्य शासन में अधिक से अधिक पारदर्शिता लाने के लिए संघर्ष करना और राज्य एवं राष्ट्रीय आर टी आई कानूनों को लागू करवाना था. इसके संस्थापक सदस्यों में अरुणा राय, प्रभात जोशी, अजित भट्टाचार्य,प्रशांत भूषण, एस.आर शंकरन, प्रकाश कर्दाले, शेखर सिंह, के.जी. कन्नाबिरण, भारत डोगरा थे. विस्तृत जानकारी के लिए www.righttoninformation.info देखें.

भ्रष्टाचार से लड़ने का एन सी पी आर आई का दृष्टिकोण क्या है?

एन सी पी आर आई का मानना है कि प्रधानमंत्री, सभी मंत्री, चुने हुए प्रतिनिधियों और न्यायधीशों को भी भ्रष्टाचार-निरोधक सशक्त कानूनों के दायरे में लाया जाए. किसी भी संस्थान में कर्मियों की संख्या बहुत अधिक ना हो जाए और उसका प्रबंधन कठिन हो जाए अथवा वह अनावश्यक रूप से ताकतवर ना हो जाए, एन सी पी आर आई का मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर तीन अलग-अलग संस्थान स्थापित किये जाए और इसी तर्ज पर राज्यों में भी यही संस्थान स्थापित किये जाएँ.

१. राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण लोकपाल होगा जो सभी चुने हुए प्रतिनिधियों, प्रधानमंत्री सहित (कुछ सुरक्षा उपायों के साथ), मंत्रियों, सांसदों और वरिष्ठ अधिकारीयों (ग्रुप 'ए' अधिकारी) एवं उनके सह-अपराधियों के भ्रष्टाचार की निगरानी करेगा . कृपया, संसद के समक्ष विचाराधीन लोकपाल बिल को सशक्त बनाने के लिए दिए गए सुझावों के लिए नोट संख्या १ देखें.

२. सरकारी अधिकारियों की शेष श्रेणियों के लिए केंद्रीय सतर्कता लोकपाल (सेन्ट्रल विजिलेंस कमीशन) बने जिसके पास जांच करने, अभियोग चलाने और अपील स्वीकार करने जैसे अधिकार हो. सेन्ट्रल विजिलेंस एक्ट में उचित संशोधनों संबंधित एन सी पी आर आई के सुझावों के लिए कृपया नोट क्रमांक २ देखें.

न्यायपालिका लोकपाल की स्थापना की जाए. न्यायिक जवाबदेही एवं मानदंडों संबंधी कानून को सशक्त बनाने के लिए एक बिल संसद के पास विचाराधीन है. इसके तहत पद पर तैनात न्यायधीशों पर लगे भ्रष्टाचार और दुराचारों की जाँच हो. न्यायिक जवाबदेही एवं मानदंड बिल को सशक्त बनाने के लए एन सी पी आर आई द्वारा प्रस्तावित सुझावों के कृपया नोट क्रमांक तीन देखें.

इसके अतिरिक्त एन सी पी आर आई का दृढ विश्वास है इस संस्थाओं सहित सभी संस्थाओं के लिए एक सशक्त 'विस्सल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल' लाया जाए. संसद के पास विचाराधीन 'विस्सल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल' को सशक्त बनाने के एन सी पी आर आई द्वारा दिए गए सुझाओं के लिए कृपया नोट क्रमांक पांच देखें.

शिकायत निवारण भ्रष्टाचार-निवारण लोकपाल में क्यों शामिल नहीं किया जाना चाहिए?

एन सी पी आर आई का विचार है की यह अवांछनीय और अव्यावहारिक है, विशेषकर इससे जुड़े व्यक्तियों की संख्या और शिकायतों के निपटान की विकेन्द्रीयकृत प्रणाली के लिए यह आवश्यक है. इसलिये हमारा सुझाव है की एक स्वतन्त्र, विशेषज्ञ एवं पेशेवर शिकायत निवारण लोकपाल नियुक्त हो जो शिकायतों का प्रभावशाली निपटान, विकेन्द्रीयकृत प्रणाली से एक निश्चित समय सीमा में कर सके. ग्राम, ब्लाक एवं शहरी स्तर पर इस आयोग के प्रतिनिधि नियुक्त हों, ये प्रतिनिधि एकल खिडकी सुविधा प्रदान करते हुए, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान और शिक्षा के अधिकार संबंधी शिकायतों का निपटान भी कर सकतें हैं. एन सी पी आर ई द्वारा सुझाए गई शिकायत निपटान व्यवस्था की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया नोट क्रमांक चार देखें.

आपके भ्रष्टाचार-निवारण लोकपाल में न्यायपालिका शामिल क्यों नहीं है?

एन सी पी आर आई का मानना है की न्यायपालिका को जवाबदेह बानने के लिए जुडीशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल के तहत एक अलग से संस्थान हो. यह बिल पहले से ही संसद के पास विचाराधीन है. पर इसमें सुधार करने और इसे सशक्त बनाने की काफी गुंजाइश है. न्यायपालिका को एक स्वतंत्र संस्था के प्रति जवाबदेह होना चाहिए क्योंकि:

१. बहुत से संविधान विशेषज्ञों की राय है उच्चतर न्यायपालिका को भ्रष्टाचार-निवारण लोकपाल की परिधि में लाने के लिए संविधान में संशोधन करना

होगा अन्यथा यह सविंधान के स्वतन्त्र न्यायपालिका के मूल सिद्धांत के विरुद्ध होगा. एक विचार यह भी है कि क्यों ना संविधान में ही संशोधन कर लिया जाए – यह कहने में सरल है परन्तु ऐसा करना इससे कठिन है. तर्क है कि ऐसा करना संविधान के मूल ढांचे को ही बदलना है. उच्चतम न्यायालय ने भी अपने एक निर्णय में कहा है कि विधायिका को ऐसा करने का अधिकार नहीं है (केशवानंद भारती एवं स्टेट आफ केरल ए आई आर 1973 एस सी 1461).

२. एक समस्या यह भी है कि उच्चतम न्यायलय को ही यह अधिकार है कि वह लोकपाल के सदस्यों के विरुद्ध शिकायतों की सुनवाई करे. यह एक अवांछनीय स्थिति है कि उच्चतम न्यायालय के जजों की शिकायतों की सुनवाई लोकपाल करे.

३. इसके अतिरिक्त यह भी हो सकता है कि यदि उच्चतर न्यायपालिका को इसमें शामिल कर लिया जाए तो बिल को ही उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और सकता है कि लंबे समय तक यह वहीं अटका रहे.

क्या एन सी पी आर आई लोकसभा में रखे गए लोकपाल बिल का विरोध करती है?

हाँ. एन सी पी आर आई का विचार है कि लोकसभा में सरकार द्वरा प्रस्तावित बिल ना केवल बहुत कारणों से अपर्याप्त है अपितु कुछ कारणों से यह बेरहम भी है. जैसे कि:

१. सरकारी ड्राफ्ट बिल में केवल केंद्र सरकार शामिल है, राज्य सरकारें नहीं.

२. इस ड्राफ्ट बिल से यह संकेत भी नहीं मिलता कि उच्चतर न्यायपालिका और ग्रुप ए से अतिरिक्त अधिकारियों के भ्रष्टाचार मामलों से कैसे निपटा जाएगा.

३. इसमें शिकायत निवारण सम्बन्धी मसले का कोई जिक्र नहीं है.

४. इसमें प्रधानमंत्री को शामिल नहीं किया गया है जबकि एन सी पी आर आई का मानना है कि कुछ अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधानों के साथ प्रधानमंत्री को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए.

५. इसमे लोकपाल के चयन की प्रक्रिया पूरी तरह से सरकार के हाथ में है जिसमे अनिवार्य सर्च कमेटी का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि एन सी पी आर आई का विचार है कि ऐसी कमेटी का होना ज़रूरी है.

६. यह लोकपाल की स्वतंत्रता में बाधक है क्योंकि यह सरकार को अधिकार देता है वह लोकपाल अथवा उसके किसी सदस्य के विरुद्ध जांच कर सके.

७. यह सभी प्रकार के जन-आन्दोलनों और गैर-सरकारी संस्थाओं पर लागू होगा, एवं इनके पदाधिकारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह लोक-सेवक की श्रेणी में माना जाएगा. एन सी पी आर आई का मानना है यह उचित नहीं हैं.

८. इसमें निराधार अथवा झूठी शिकायतें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कैद सहित अन्य कई सजाओं का प्रावधान है. इस प्रकार के प्रावधानों से असल शिकायतों पर भी अंकुश लगेगा.

९. बड़ी सहजता से कोरपोरेट सेक्टर को इसने अपनी परिधि से मुक्त रखा है जबकि बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार बढाने में इसी क्षेत्र का मुख्य भूमिका है.

एन सी पी आर आई के दृष्टिकोण के अनुसार तो बहुत से नए कानून चाहियें. जबकि एक नया कानून बनाना ही अत्यंत मुश्किल काम है.

ऐसा लग सकता है कि एन सी पी आर आई पांच नए संस्थानों की स्थापना और इतने ही नए कानून बनाने का प्रस्ताव कर रहा है. वास्तविकता यह है कि इनमें से तीन पर कानून बनाने के लिए संसद में पहले से ही बिल विचाराधीन है – लोकपाल बिल, न्यायिक जवाबदेही एवं मानदंड बिल और विस्सल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल. चौथा है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो कि पहले से ही एक स्वतन्त्र संस्था है और मात्र उसके एक्ट को संशोधित करना होगा.

शिकायत निवारण एक्ट के रूप में मात्र एक नया कानून बनाना होगा. इसके अतिरिक्त यह भी विचार है कि मौजूदा शिकायत निवारण ढांचे को और व्यवहारसंगत और मजबूत बनाने के साथ-साथ शिकायत निवारण के लिए उप-जिला स्तर पर एक साझी संस्था बनाई जाए जो शिकायतों का निपटान कर सके साथ ही जिला एवं राज्य/केन्द्र स्तर पर ऐसी अधिकारसंपन्न संस्था हो जो निश्चित समय सीमा में मामले को निपटाने के लिए अपील स्वीकार कर सके और जिसे सजा और मुआवजे के आदेश का अधिकार प्राप्त हो.

अतएव, एन सी पी आर आई के दृष्टिकोण के अनुसार संसद में पहले से ही प्रस्तुत बिलों को और सशक्त बनाने, एक मौजूदा संस्थान को और प्रभावशाली बनाने और एक नया कानून लाने कि आवश्यकता है.

क्या इस कार्य में आप सरकार के साथ संलग्न हैं?

एन सी पी आर आई ने संयुक्त ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष को कमेटी के समक्ष अपने विचार रखने के लिए लिखा था. यद्यपि कमेटी ने आश्वासन दिया था कि हमें इस तरह का अवसर दिया जाएगा. पर ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा होने से पूर्व कमेटी समाप्त हो गई. परिणामतः हमने अपने विचार सरकार के कई मंत्रियों के समक्ष रखे एवं हम कई मंत्रियों से मिले भी. एन सी पी आर आई अपने अनुशंसाओं को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजेगी और यह निवेदन भी करेगी कि हमें स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष अपनी बात कहने का अवसर दिया जाए.

आप सभी प्रस्तावित संस्थाओं की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करेंगे ?

सभी प्रस्तावित संस्थाओं की संरचना में ही जवाबदेही के उपाय हैं. उदाहरण के लिए भ्रष्टाचार-निवारण लोकपाल के सदस्यों के विरुद्ध शिकायत सुनने का अधिकार भारत के मुख्य न्यायधीश के पास होगा, प्रस्तावित शिकायत निराकरण आयोग के सदस्यों के विरुद्ध शिकायतों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था होगी. इसके अतिरिक्त इन सभी प्रस्तावित संस्थाओं की कार्यपद्धति अत्यंत पारदर्शी होगी और ये समवर्ती रूप से लोगों के प्रति जवाबदेह होंगी.

आप बहुत से संस्थानों का प्रस्ताव कर रहें हैं, कोई यह कैसे तय करेगा कि वह अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करे?

सामान्यतः, किसी शिकायतकर्ता की जिस किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत होगी उसी के समकक्ष संस्था में उसे अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी. उदाहरण के लिए अगर उसकी शिकायत किसी ग्रुप 'ए' के किसी अधिकारी, चुने हुए प्रतिनिधि अथवा मंत्री के विरुद्ध है तो उसे केंद्र में लोकपाल के समक्ष और राज्य में लोकायुक्त के विरुद्ध शिकायत दर्ज करनी होगी. अन्य अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत केंद्रीय सतर्कता आयोग में होगी और उच्चतर न्यायपालिका के विरुद्ध शिकायत राष्ट्रीय न्याय आयोग को भेजी जायेगी.

अगर शिकायतकर्ता आरोपी अधिकारी के पद को लेकर निश्चित नहीं है तो कानून में उसी प्रकार का प्रावधान होगा जैसा कि सूचना के अधिकार में है, अर्थात जिस किसी भी संस्था को शिकायत प्राप्त होगी वह उसे उचित एवं सक्षम संस्था को हस्तांतरित कर देगा.

यदि आपके संस्थान इतने हिस्सों में बटें हैं तो क्या कुछ लोग इसकी परिधि में आने से छूट नहीं जायेंगे?

एन सी पी आर आई द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण बिल में सभी सह-अभियुक्तों को एक साथ इसके दायरे में लाने का प्रावधान है चाहे वे अपने पद के अनुसार उस संस्थान की परिधि में ना आते हों. जैसे, भूमि के किसी सौदे में कैबिनेट के किसी सदस्य के साथ निचले स्तर के अधिकारी भी शामिल हों, बेशक गांव का पटवारी ही सही, उनकी सह-अभियुक्त के तौर पर जांच राष्ट्रीय लोकपाल द्वारा की जायेगी.

प्रस्तावित माडल में सी बी आई और ऐसी ही अन्य जांच एजेंसियों किस प्रकार से इसकी परिधि में होंगी?

एन सी पी आर आई के प्रस्तावों के अनुसार प्रत्येक भ्रष्टाचार-निवारण संस्थान के पास शिकायतों के विरुद्ध जांच करने व अभियोग चलाने के लिए प्रयाप्त कार्मिक और अधिकार होंगे. फलस्वरूप उनसे अपेक्षा होगी कि वे अपने जांच तंत्र स्थापित करें जिसमें सी बी आई अथवा अन्य जांच एजेंसियों से लोग लिए जा सकते हैं.

क्योंकि सी बी आई भ्रष्टाचार के अतिरिक्त और भी मामलों की जाँच करती है, इसलिए वह उन कार्यों के लिए सरकार के अधीनस्थ ही कार्य करेगी.

जांच और न्याय की गति और सत्यता कैसे सुनिश्चित की जायेगी ?

प्रत्येक संस्थान के लिए जांच, तहकीकात और परीक्षण के लिए आवश्यक समय सीमा का प्रस्ताव है. ऐसा भी प्रस्ताव है है कि उपयुक्त एवं समयबद्ध जांच के लिए निश्चित नियम हों व इनकी अवहेलना को अपराध माना जाए.

इन संस्थाओं का संयोजन कैसा होगा और इनके सदस्यों का चयन कैसे होगा ?

एन सी पी आर आई की परिकल्पना के अनुसार इनमे विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ जैसे भूतपूर्व न्यायधीश और विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट लोग होंगे. सदस्यों की पहचान और चयन ऐसी कमेटियों द्वारा किया जाएगा जिनके विविध सरोकार होंगे और जो एक दूसरे को सन्तुलन प्रदान करने वाली होगीं ताकि इनकी निष्पक्षता सुनिश्चित हो. इसलिए, साधारणतया इसमें सरकारी प्रतिनिधि, विपक्ष, न्यायपालिका सहित समाज के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट लोग शामिल होंगे.

एन सी पी आर आई के प्रस्तावों में इतनी जटिलताएं क्यों हैं ?

यह सत्य है कि लोकपाल की ऐसी किसी भी अवधारणा –जिसमे एक लोकपाल सभी प्रकार के भ्रष्टाचार, कुशासन और कुप्रबंधन पर लगाम लगायेगा के मुकाबले एन सी पी आर आई की अवधारणा ज्यादा जटिल है. एन सी पी आर आई भ्रष्टाचार और शिकायत/कष्ट निवारण की दिशा में सामुहिक एवं समवर्ती उपायों की आवश्यकता पर बल देता है. यद्यपि भ्रष्टाचार और शक्ति का विवेकहीन प्रयोग ही अत्यंत जटिल चीज़ें हैं और निश्चित तौर पर कुशासन पर लगाम और शिकायतों का निपटान और भी जटिल है.

क्या आपको नहीं लगता कि 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' से भिन्न मत देकर आप 'सिविल सोसायटी' को कमज़ोर कर रहें हैं?

भ्रष्टाचार की समस्या इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे नागरिक समाज के एक समूह के भरोसे नहीं रखा जा सकता. इसके अतिरिक्त विचारों की विविधता और अनेकता किसी भी चर्चा अथवा परामर्श के लिए एक स्वस्थ प्रक्रिया है, साथ ही भ्रष्टाचार-निवारण की दिशा में प्रभावशाली उपाय तलाश करने की दिशा में यह एक आवश्यक शर्त भी है. अगर 'इंडिया

अगेंस्ट करप्शन' एन सी पी आर आई सहित दूसरे नागरिक समाजों से बातचीत करने के लिए ऐसी अनिच्छा ना दिखाती तो बहुत सम्भव था कि विस्तृत चर्चाओं के पश्चात एक सर्वसम्मति बन जाती.

एन सी पी आर आई ई टीम अन्ना/ इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ मिलकर काम क्यों नहीं कर रही ?

पिछले कुछ महीनों में एन सी पी आर आई ने प्रस्तावित जनलोकपाल बिल सहित भ्रष्टाचार और शिकायत निवारण संबंधी मुद्दों पर कई सभाओं में चर्चा की है. इन सभाओं में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के भी कई सदस्य शामिल रहें हैं. तब तक चर्चा जारी थी जब तक इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने सार्वजनिक रूप से यह कहना शुरू किया कि जनलोक पाल बिल ही अंतिम है और इसमें किसी प्रकार के सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है. ऐसे बयान दिए जाने लगे कि जो भी इस बिल से असहमत है या तो वह भ्रष्ट है अथवा भ्रष्टाचार का समर्थक है. इसलिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोगों के साथ रचनात्मक एवं सार्थक कार्य करना सम्भव नहीं रहा. हालाँकि हाल ही के दिनों में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कुछ सदस्यों ने, जो एन सी पी आर आई के भी सदस्य हैं ने एक बार फिर यह चर्चा आरम्भ की है कि भ्रष्टाचार और शिकायतों के निवारण की दिशा में विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण हैं.

आप विभिन्न स्तर के भ्रष्टाचार निवारण के लिए संस्थाओं को विभक्त क्यों कर रहें है ? क्या किसी मौजूदा संस्थान के साथ ऐसा किया गया है ?

वर्तमान में केंद्र सरकार में लगभग बयालिस लाख लोग नियमित नौकरी करतें हैं. ये व्यावहारिक रूप से भी और व्यवस्थागत रूप से भी असंभव है कि इन सभी कर्मचारियों से सम्बंधित सभी शिकायतों के लिए शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण लोकपाल के रूप में मात्र एक ही संस्था हो. ऐसा होने पर हजारों शिकायतों को रूटीन शिकायत अथवा तुच्छ किस्म का भ्रष्टाचार मानकर लोकपाल की विशिट योग्यता और शक्ति से वंचित हो जाने की पूरी सम्भावना है. इसीलिए लोकपाल के कार्य को सीमाबद्ध होना अति आवश्यक है अन्यथा लंबित शिकायतों का अम्बार लग सकता है जैसा कि हमारे न्यायालयों में अक्सर होता है. या फिर यह एक ऐसे संस्थान में बदल सकता है जो इतना बड़ा और

बोझिल हो जाए कि ना सिर्फ इसका प्रबंधन कठिन हो जाए अपितु इसकी ईमानदारी को सुनिश्चित करना कठिन हो जाए (जैसे कि आयकर विभाग). साथ ही ऐसी भी सम्भावना है कि यह खर्चों का ऐसा घर बन जाए जो लोक-संसाधनों को ही खाने लगे.

राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण लोकपाल को सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व और ग्रुप 'ए' अधिकारीयों पर ही (सह-अभियुक्तों सहित) केंद्रित रखने के मुख्य कारण इस प्रकार से हैं.

१. वर्तमान व्यवस्था में यही वे लोग हैं जिन पर प्रयास अंकुश एवं संतुलन नहीं है.

२. आमतौर पर उनके द्वारा किये गए घोटाले अत्यंत जटिल होतें हैं और उनकी गुत्थियां सुलझाने के लिए विशेष प्रयासों और योग्यताओं के साथ साथ बहुत से साधनों की आवश्यकता होती है. (उदाहरण के लिए, २जी, कर्नाटक और आँध्रप्रदेश में खनन, कामनवेल्थ घोटाला वगैरह) इस तरह की योग्यताएं और संसाधन लोकपाल आयोग के पास होंगे और दूसरे सभी मामलों की जांच भी राष्ट्रीय लोकपाल के दायरे में रखना जिनकी जांच मौजूदा संस्थान कर सकते हैं, एक खर्चीली प्रक्रिया होगी और संसाधनों का क्षय तो होगा ही.

३. आमतौर पर इस श्रेणी में बहुत प्रभावशाली लोग होते है जिनका अपना बोलबाला होता है और जिनके पास धन की ताकत भी होती है, उनके इस प्रभाव और बल को बेअसर करने के लिए प्रस्तावित लोकपाल आयोग जैसे स्वतन्त्र संस्थान की अत्यंत आवश्यकता है ताकि एक निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके.

४. बिना किसी अपवाद के, जिन घोटालों में पुराने राजनेता, मंत्री या वरिष्ठ अफसर शामिल होते हैं उनमे बहुत अधिक जन संसाधन दांव पर होते हैं. लोकपाल एवं उसके सहायक अधिकारियों पर भी व्यय काफी होगा. उनपर किया जानेवाला व्यय तभी न्यायसंगत होगा जब वे इस तरह के बड़े घोटालों पर ही केंद्रित रहें. इन घोटालों को रोकने और ऐसे घोटालों की पड़ताल से जन संसाधनों की अथाह वसूली एवं बचत होगी जिसे उसी उसी जनता को वापस किया जा सकता है जो इनकी दरअसल मालिक है.

५. जहाँ तक प्रधानमंत्री, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारीयों का प्रश्न है ये लोग व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षक सत्ता की भूमिका में होते हैं और सांसद सामुहिक रूप से. अगर सत्ता के इन केन्द्रों को बेनकाब करके इनकी छंटाई की जाए तो ना सिर्फ शासन की तस्वीर और रोशन होगी बल्कि नीचे के अधिकारियों के

लिए भी भ्रष्टाचारी होना ना सिर्फ उनके लिए मुश्किल बल्कि खतरनाक होगा. इससे एक सकारात्मक सन्देश भी जाएगा कि व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो वह कानून की पहुँच से बाहर नहीं है. इससे इस सनकी लोकप्रिय विचार को समाप्त करने में मदद मिलेगी कि सिर्फ छोटी मछलियाँ फंसती हैं, बड़े-बड़े मगरमच्छ और शार्क तो बच जाते हैं.

६. निसन्देह आदर्श स्थिति वही होगी जिसमे हर तरह के भ्रष्टाचार पर लगाम कसी जा सके और लोकपाल ऐसा वादा करता है. यद्यपि सुरसा के मुंह जैसी बड़ी समस्या का कोई तुरत-फुरत हल सम्भव नहीं दिखता. लेकिन लोकपाल के दायरे को विस्तृत करने के अत्यधिक प्रयासों का वही परिणाम होगा जो भ्रष्टाचार-निवारण के लिए बने दूसरे संस्थानों का हुआ है कि वे बोझ के मारे असरहीन हो गए. कदाचित उचित यही होगा कि लोकपाल की प्रक्रिया को विभिन्न चरणों में लागू किया जाए और जैसे-जैसे लोकपाल की क्षमता में वृद्धि हो, यह अनुभवी हो और उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त करे इसका विस्तार किया जाए.

भारत में कम से कम ९ राज्य लोकायुक्त (१२ में से) इसी तरह से श्रेणीबद्ध रूप से विभाजित हैं , इस व्यवस्था के अनुसार कनिष्ठ सरकारी –सेवकों पर उपलोकायुक्त निगरानी रखता है और वरिष्ठ अधिकारी की जांच लोकायुक्त द्वारा की जाती है

एन सी पी आर आई के प्रस्तावों पर मैं अपनी टिप्पणी अथवा सुझाव कैसा भेज सकती/सकता हूं?

हमें इस पते पर मेल भेजें : ncpri.india@gmail.com

क्या मैं एन सी पी आर आई के ड्राफ्ट का अवलोकन कर सकती/सकता हूं?

एन सी पी आर आई ने लोक सभा में रखे गए लोकपाल बिल में कई सुधारों के लिए विस्तृत सुझाव दियें हैं, उन्हें यहाँ देखा जा सकता है : www.righttoinformation.info

क्या यह सरकारी दृष्टिकोण मात्र ही नहीं है क्योंकि इसका सम्बन्ध राष्ट्रीय सलाहकार समिति से है, जो कि एक सरकारी संस्था है

एन सी पी आर आई की कार्यकरिणी में २८ सदस्य हैं जिनमे से मात्र दो, अरुणा राय और हर्ष मंदर ही राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य हैं. एन सी पी आर आई पारदर्शिता और जवाबदेही के हिमायतियों का एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त नेटवर्क है. एन सी पी आर आई का भ्रष्टाचार और सत्ता के मनमाने और विवेकहीन प्रयोग के विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया में शामिल होने का अभियान १९९६ में सूचना के अधिकार की मांग के साथ आरम्भ हुआ था. एन सी पी आर आई के कुछ सदस्य एन ए सी के भी सदस्य हैं. एन सी पी आर आई किसी भी तरह से एन ए सी से ना तो तो सम्बंधित है और ना ही समर्थित.